

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक. १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 75/2012

तेज बहादूर सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा,सारण )

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
07.05.2015	<p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के आदेश ज्ञापांक 2196, दिनांक 24.07.2012 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को तेज बहादूर सिंह, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-31/2007, पंचायत-सेमरी, प्रखंड- म्हरक, थाना-म्हरक जिला-सारण की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल सं० 14 (श्री बिनोदा नंद झा वरीय उप समाहर्ता,सारण) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना</li><li>(2) कैशमैमो नही देना</li><li>(3) उपकरण का सत्यापन नहीं कराना।</li><li>(4) उठाव की सूचना निगरानी समिति को नहीं देना, न इसका सत्यापन कराना और न ही इसके देख-रेख में वितरण करना।</li><li>(5) 17 रु० प्रतिलीटर तेल देना।</li><li>(6) बी०पी०एल०का खाद्यान्न 20 कि०ग्रा० 7 रु० प्रति किया० देना।</li></ol> <p>उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 530 ,दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत</p>	

किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अनुज्ञापन प्रदाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में वर्ष 2011 के सभी पंजी एवं कागजात अनुमंडल कार्यालय में जमा कर दिये गए थे जिस वजह से जाँच दल को वह दिखाना संभव नहीं हो सका। विक्रेता के पास केश मेमो उपलब्ध था लेकिन जाँच दल के द्वारा इसकी माँग नहीं किए जाने की वजह से इसे जाँच दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। विक्रेता के द्वारा अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण निगरानी समिति के समक्ष किया जाता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के कारण पृच्छा में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरुद्ध शिकायत की गई। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा विक्रेता को परेष्टन करने की नीयत से झूठा आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2196, दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरुद्ध दिए गए कुल 2 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नहीं है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निर्देश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को



उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर कारण पृच्छ किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....312...../न्या0, दिनांक 08/05/2015

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता  
जिला विधि शाखा  
सारण, छपरा।